दिनांक 23.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 33 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सावन शिवरात्रि के अवसर पर मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेन्टर के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की मानीटरिंग की गयी

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 23.07.2025 को सावन शिवरात्रि के अवसर पर पुलिस मुख्यालय ग्राउण्ड फ्लोर, टॉवर–1 स्थित, सोशल मीडिया सेन्टर से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था की मानीटरिंग की गयी।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा इस दौरान सोशल मीडिया सेन्टर के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों एवं टीथर्ड ड्रोन की लाइव फीड का अवलोकन किया गया तथा सम्बंधित जनपदों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर **श्री अमिताभ यश**, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, **श्री नवीन अरोड़ा**, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें, **श्री एल0आर0 कुमार**, पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था सहित पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे।

दिनांक 23.07.2025	
प्रेस विज्ञप्ति 34/2025	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः जनपद–वाराणसी में अवैध रूप से शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़ भारी मात्रा में निर्मित, अर्धनिर्मित असलहा एवं उपकरण बरामद।

दिनांकः 22–07–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद–वाराणसी में अवैध रूप से शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़ भारी मात्रा में निर्मित, अर्धनिर्मित असलहा एवं उपकरण बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– मिठाई लाल चौधरी पुत्र गुलाब पासी निवासी मो0 रूपमपुर, आशापुर, थाना सारनाथ, वाराणसी।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगीः–

1– 02 अदद .9एमएम पिस्टल।

2– 01 अदद .32 बोर पिस्टल।

3– 01 अदद अर्धनिर्मित रिवाल्वर .32 बोर।

4– 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

5– 02 अदद कारतूस .38 बोर रिवाल्वर।

6– 01 अदद कारतूस 7.62 एमएम।

7– 01 अदद कारतूस .45 बोर।

8– 01 अदद कारतूस 315 बोर।

9– 01 अदद कारतूस 12 बोर।

10– 02 अदद मिस कारतूस .32 बोर।

11– 02 अदद मिस कारतूस 315 बोर।

12– 04 अदद मिस कारतूस .9एमएम।

13– 02 अदद मिस कारतूस .38 बोर।

14– 02 अदद मिस कारतूस 303 बोर।

15– 01 अदद मिस कारतूस 7.62एमएम।

16– 08 अदद खोखा 7.62 एमएम।

17– 08 अदद खोखा 09एमएम।

18– 04 अदद मैग्जीन .32 बोर।

19– 01 अदद मैग्जीन .9एमएम।

20– 10 अदद रेती।

21– 04 अदद पेचकस।

22– 02 अदद हथौड़ी।

23– 02 अदद आरी।

24– 50 अदद ग्राइन्डर ब्लेड।

25– 27 अदद ड्रिल बिट।

26– 01 अदद ड्रिल मशीन।

27– 01 अदद कटर मशीन।

28– 09 अदद स्टील राड।

29– 05 अदद स्प्रिंग बड़ा साइज।

30– 27 अदद स्प्रिंग छोटा साइज।

31– 03 अदद लोहे की डाई।

32– 03 अदद मापन यंत्र।

33– 05 अदद लकड़ी की डाई।

34– 05 अदद लोहे की अर्धनिर्मित नाल।

35– 05 अदद लोहे की प्लेट।

36– 03 अदद लोहे की डाई।

37– 01 अदद लोहे का पाना।

38– 01 अदद बाक मशीन एवं अन्य उपकरण।

<u>गिरफ्तारी का स्थानः–</u>

रेलवे स्टेशन वाराणसी प्लेट फार्म नम्बर–09 के पीछे थाना क्षेत्र कैण्ट, वाराणसी। दिनांक 22–07–2025 समय 23.00 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को उ0प्र0 सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद वाराणसी में अवैध रूप से असलहा बनाकर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध रूप से सप्लाई की जा रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यावाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

दिनांक 22–07–2025 को उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी, उ0नि0 विद्यासागर, मु0आ0 अमित सिंह, मु0आ0 आलोक कुमार पाण्डेय, मु0आ0 स्वरूप कुमार पाण्डेय, चालक अफजाल की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद वाराणसी में भ्रमणशील थी, इस दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से अवैध रूप से असलहा बनाकर उसकी सप्लाई करने वाले गैंग का एक सदस्य कैण्ट रेलवे स्टेशन के पास किसी से मिलने आने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर कर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से 02 अदद पिस्टल बरामद हुई। जिसने पूछताछ पर बताया कि वह किराये के मकान में अवैध रूप से शस्त्र बनाने का काम करता है। यह जो असलहा अपने घर पर बनाता है उसे प्रति असलहा 25–30 हजार रूपये में बेचता है तथा जो असलहा मुंगेर से लाता है, उसे 50–60 हजार रूपये प्रति असलहा के हिसाब से बेचता है। इसके पास से बरामद मिस कारतूस के बारे में बताया कि असलहा बनाने के बाद ट्रायल करने के दौरान मिस हुए है। अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर उसके किराये के मकान पर पहुँचकर अवैध रूप से संचालित शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़ कर मौके से उपराक्त बरामदगी की गयी।

अभियुक्त मिठाई लाल का अपराधिक इतिहासः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	123/2005	3/25 आर्म्स एक्ट	मडुवाडीह	वाराणसी
2	124/2005	8/22 एनडीपीएस एक्ट	मडुवाडीह	वाराणसी
3	122/2006	3/25 आर्म्स एक्ट	कैण्ट	वाराणसी
4	30/2008	3/5/25 आर्म्स एक्ट	सारनाथ	वाराणसी
5	01/2019	3/5/25 आर्म्स एक्ट	कैण्ट	वाराणसी

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कैण्ट, जनपद–वाराणसी में मु0अ0सं0 419/2025 धारा 3/5/7/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट लखनऊ द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 03 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 600 ग्राम मारफीन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 60 लाख रूपये), 04 अदद मोबाइल फोन, 02 अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद पेन ड्राइव बरामद ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, लखनऊ के मार्ग दर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ यूनिट लखनऊ द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 03 अन्तर्राज्यीय सक्रिय तस्कर 1–रेहान पुत्र मो0 याकूब नि0 विशैनीखेड़ा, लोनीकटरा, बाराबंकी, उ0प्र0 उम्र लगभग 26 वर्ष 2–आकाश मिश्रा पुत्र चन्द्रकुमार मिश्रा नि0 ग्राम–ककरी लोनीकटरा, बाराबंकी, उ0प्र0 उम्र लगभग 18 वर्ष व 3–मो0 अनवर हुसैन पुत्र मकसूद नि0 ग्राम – ककरी, लोनीकटरा, बाराबंकी, उ0प्र0 उम्र लगभग 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 600 ग्राम मारफीन (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत मूल्य लगभग 60 लाख), 04 अदद मोबाइल फोन, 02 अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद पेन ड्राइव बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लोनीकटरा पर मु0अ0सं0– 296/25 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट 1985 मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही की गई ।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से एक–एक कर व संयुक्त रूप से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके पास मारफीन है, जिसे अमेठी के एक व्यक्ति से अवैध मारफीन खरीदकर उसे बाराबंकी, अमेठी आदि अन्य स्थानों पर बेचकर भारी मात्रा में मुनाफा कमाया जाता है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1–रेहान उर्फ रइहान पुत्र मो0 याकूब नि0 विशैनीखेड़ा, लोनीकटरा,बाराबंकी,उत्तर प्रदेश,भारत उम्र लगभग 26 वर्ष ।

2–आकाश कुमार पुत्र चन्द्रकुमार मिश्रा नि0 ग्राम– ककरी,लोनीकटरा बाराबंकी,उत्तर प्रदेश,भारत उम्र लगभग 18 वर्ष।

3–मो0 अनवर हुसैन पुत्र मकसूद नि0 ग्राम –ककरी, लोनीकटरा बाराबंकी, उत्तर प्रदेश,भारत उम्र लगभग 27 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय–

दिनांक– 23.07.2025, समय– 6.17 बजे स्थान– पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, के किनारे 26 किमी लखनऊ की तरफ थाना लोनीकटरा बाराबंकी।

बरामदगी का विवरण

1. 600 ग्राम मारफीन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 60 लाख रूपये)
2. 04 अदद मोबाइल फोन
3. 02 अदद मोटरसाइकिल
4. 01 अदद पेन ड्राइव व 410/– रूपया नगद ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 आपरेशनल यूनिट लखनऊ

1– निरीक्षक दर्शन यादव

2– हे0का0 संगम पटेल

3– हे0का0 दिनेश सिंह

4– हे0का0 मो0 खालिद खान

5– का0 राजन कुमार

6– म0का0 प्रतिमा शुक्ला

सहयोगार्थ थाना–लोनीकटरा, जनपद–बाराबंकी की टीम–

1– उ0नि0 श्री आदित्य गौतम

2– का0 जयसराज यादव

3– का0 गौतम सिंह

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गुडम्बा

- **16 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 01 करोड़ 07 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **03 लैपटॉप, 54 मोबाइल फोन, 02 टैबलेट, 02 नोट गिनने की मशीन, 79 एटीएम कार्ड, 13 चेकबुक, 22 पासबुक, 14 कूटरचित आधार कार्ड एवं टोकन में प्रयोग होने वाले पुराने नोट आदि बरामद**

दिनांक 23.07.2025 को थाना गुडम्बा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर स्मृति अपार्टमेन्ट से 16 अभियुक्तों 1– प्रमोद 2– साजिद अंसारी

3–खेमेन्द्र 4–सोहैल अशरफ 5–टिकैश कुमार 6–सचिन कुमार 7–राकेश कुमार 8–राकेश प्रहलाद 9–गोविन्द भाई मंगलदास 10–गोविन्द 11–अभय 12–अंश 13–शंकर 14–विनायक 15–मोहन 16–विजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 01 करोड़ 07 लाख 50 हजार रूपये नगद, 03 लैपटॉप, 54 मोबाइल फोन, 02 टैबलेट, 02 नोट गिनने की मशीन, 79 एटीएम कार्ड, 13 चेकबुक, 22 पासबुक, 14 कूटरचित आधार कार्ड एवं टोकन में प्रयोग होने वाले पुराने नोट आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो अवैध लोटस गेमिंग साइड के माध्यम से आनलाइन बेटिंग गेम खिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की घटना कारित की जाती है।

इस सम्बन्ध में थाना गुडम्बा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–प्रमोद निवासी शास्त्रीनगर कैंप वन थाना छावनी जनपद दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

2–साजिद अंसारी निवासी ग्राम 431 हाउसिंग बोर्ड थाना सुपेला भिलाई जनपद दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

3–खेमेन्द्र निवासी शास्त्रीनगर कैंप वन थाना छावनी जनपद दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

4–सोहैल अशरफ खान निवासी मकान नंबर 39 अय्यपानगर सुपेला थाना भिलाई जनपद दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

5–टिकैश कुमार निवासी मकान नंबर 156 कांन्ट्रैक्टर कालोनी सुपेला भिलाई थाना भिलाई जनपद दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

6–सचिन कुमार निवासी म०न0 99 कान्ट्रैक्टर कालोनी सुपेला भिलाई थाना वैशालीनगर भिलाई जनपद दुर्ग छत्तीसगढ़।

7–राकेश कुमार निवासी उपेरा थाना ऊंजा जनपद मैसाना गुजरात।

8–राकेश प्रहलाद निवासी देणप थाना विषनगर जनपद मैसाना गुजरात।

9–गोविन्द भाई मंगलदास निवासी गुंजा थाना विषनगर जिला मैसाना गुजरात।

10–गोविन्द निवासी मंडाली थाना मांसा जिला गांधीनगर गुजरात।

11–अभय निवासी कैम्प 2 थाना छावनी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

12–अंश निवासी खुर्सी पार थाना खुर्सी पार जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

13–शंकर निवासी नया खुरीपार सतनामी नगर थाना खुर्सी पार भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़।

14–विनायक निवासी खुर्सीपार पावर हाउस थाना छावनी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

15–मोहन निवासी 3/एफ स्ट्रीट 15 जोन 3 सेक्टर–।। खुर्सीपर थाना खुर्सीपार भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़।

16–विजय निवासी घासी दास नगर थाना जामूल भिलाई जनपद दुर्ग छत्तीसगढ़।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के 01 करोड़ 07 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2–03 लैपटॉप, 54 मोबाइल फोन, 02 टैबलेट, 02 नोट गिनने की मशीन, 79 एटीएम कार्ड, 13 चेकबुक, 22 पासबुक, 14 कूटरचित आधार कार्ड एवं टोकन में प्रयोग होने वाले पुराने नोट आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 22/23.07.2025 को थाना डिबाई व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुखैना नहर पर चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त कुलदीप घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना डिबाई पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना डिबाई पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कुलदीप निवासी ग्राम चिरौरी रानी कतियावली थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 07 लाख 90 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त कार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23.07.2025 को थाना पिलखुवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1—इंद्रजीत उर्फ इन्द्रा 2—नईम घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर 3—अभियुक्ता को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 07 लाख 90 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त कार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त इन्द्रजीत उर्फ इन्द्रा के विरूद्ध जनपद हापुड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इंद्रजीत उर्फ इन्द्रा निवासी त्रिलोकपुरी दिल्ली व हालपता—मिशलगढी थाना मसूरी, गाजियाबाद।

2—नईम निवासी ग्राम कुसलिया थाना मसूरी, गाजियाबाद।

3—अभियुक्ता

बरामदगी

1—लूट के 07 लाख 90 हजार रूपये नगद।

2—घटना में प्रयुक्त कार।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना कोतवाली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 12 लाख 33 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के भारी मात्रा में (पीली—सफेद) धातु के आभूषण, 06 घड़ी, 01 एलईडी टीवी आदि बरामद**

दिनांक 23.07.2025 को थाना कोतवाली व रिवार्ड टीम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धौलीप्याऊ फाटक, रेलवे ग्राउन्ड गेट के पास से अभियुक्त राजवीर को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 12 लाख 33 हजार रूपये नगद, चोरी के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 06 घड़ी, 01 एलईडी टीवी आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजवीर निवासी गोलकुँआ कॉलोनी थाना हाईवे जनपद मथुरा, हालपता ग्राम पीपला थाना चिकसाना जनपद भरतपुर राजस्थान।

बरामदगी

1–चोरी के 12 लाख 33 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 06 घड़ी, 01 एलईडी टीवी आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना गांधीपार्क

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **23 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **02 जीवित, 04 खोखा कारतूस 315 बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 23.07.2025 को थाना गांधीपार्क व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रायल एवेन्यू लाज के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे

अभियुक्त आशीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 23 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित, 04 खोखा कारतूस 315 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गांधीपार्क पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आशीष निवासी ग्राम भकरी थाना विजयगढ़ जनपद अलीगढ़, हालपता बाबा कॉलोनी थाना गांधीपार्क जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—23 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—02 जीवित, 04 खोखा कारतूस 315 बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **जनपद रामपुर/थाना केमरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना केमरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—जगतपाल 2—अनिल 3—नवीन को सश्रम आजीवन कारावास व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना जसवन्तनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना जसवन्तनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सतेन्द्र कुमार को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————